कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड रामगंजमण्डी, (जिला कोटा)

क्रमांक : 947

दिनांक: 8/3/2023

श्रीमान उप वन संरक्षक
कोटा

विषय :— Costruction of road under PMGSY Salawadkhurd to Barodiya antri

प्रसंग :— आपका पत्रांक एफ( )उवस/तक./2022—23/1422 दिनांक 14.02.23

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जिला कोटा में सलावद खुर्द से बड़ौदिया आंतरी सड़क निर्माण हेतु 4.896 है0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 8 बी/राज./06/33/2008/एफ सी/162 दिनांक 11.05.2009 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी। सैद्धान्तिक स्वीकृति को 5 वर्ष से अधिक समय व्यतित हो जाने के उपरान्त अनुपालना पूर्ण न होने के कारण पत्र क्रमांक 8 बी/राज./06/33/2008/एफ सी/819 दिनांक 18.09.2015 से स्वीकृति निरस्त होने से नवीन प्रस्ताव ऑन लाईन किया गया था। आपके विभाग की बिना अनुमति के संवेदक द्वारा 2.40 किमी लम्बाई एवं 3.75 मीटर चौड़ाई (वन क्षेत्र) में कार्य कर दिया गथा था। इस विभाग द्वारा भी संवेदक को बिना अनुमति कार्य करने हेतु पाबन्द किया गया था। भविष्य में आपके विभाग की बिना अनुमति कोई कार्य नही करवाया जावेगा।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त कार्य हेतु नियमानुसार क्षतिपूर्ति लगाकर सहानुभूति पूर्वक सड़क निर्माण के प्रस्ताव पर आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करें । ताकि आमजन को सुविधा मिल सके।

(आर.के.मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा0नि0वि0खण्ड रामगंजमण्डी

Scanned with CamScanner